# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 129/2017**
**तारीख दायर : 15.11.2017**

**अनवान**

1. रामा पुत्र गणेश जाति भील़ निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––वादी**

**बनाम**

1. भगवान पुत्र मथुरा जाति भील निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. कमला पत्नी मथुरा जाति भील निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. दुर्गादेवी पत्नी भगवान जाति भील निवासी जोजवा तहसीलमाण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––प्रतिवादीगण**

**उपस्थित :–**

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

## वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

**–: निर्णय :–**

**निर्णय दिनांक 28.01.2020**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि आराजी संख्या 29 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 2579/26 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी संख्या 2171/1086 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 32 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 2192/1087 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी के एकल खातेदारी एवं कब्जेयाबी की भूमि है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एवं लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी है। तथा वादी से बेवजह रंजिश रखते है तथा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने में दखलन्दाजी उत्पन्न करते है एवं वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते है जबकि वादी ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को रहन विक्रय नहीं की है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में काश्त करते समय एवं फसल काटते समय वादी से बेवजह विवाद करते आ रहे है। दिनांक 23.10.2017 को भी प्रतिवादीगण हमसलाह होकर वादग्रस्त भूमि पर आये और वादी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी की अब वादी को वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार धमकी देने के पश्चात् वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा न करने, वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल न करने एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करने बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेंगे वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देंगे। वादी व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन वादग्रस्त आराजियात होने से वादी व उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। स्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव न हो सकेगी, इसलिए वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई

निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है। वादी को वाद कारण दिनांक 23.10.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादपत्र अन्दर अवधि एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वादपत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र व डुप्लीकेट कॉपी प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि आराजी संख्या 29 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 2579/26 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 32 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 2192/1087 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 2171/1086 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अन्य किसी से करावें। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा न करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमाई जावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर ले एवं वादी को बेदखल कर दे तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को सुपूर्द कराये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावें और अन्य कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यों एवं विधि के अन्तर्गत वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन मय नकल वाद पत्र जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 25.09.2019 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामा पिता गणेश भील के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामा पिता गणेश भील द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि मेरी जमीन गाँव जोजवा में स्थित है जो एक खाते में 3 बीघा 2 बिस्वा और एक खाते में 4 बीघा 3 बिस्वा तथा एक खाते में 2 बीधा 14 बिस्वा है। उक्त जमीन पर मै वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूँ। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण फसल काश्त करते समय एवं फसल काटते समय मुझसे लड़ाई झगड़ा एवं विवाद करते है तथा मुझे मेरी जमीन से बेखल करने की धमकी देते है। लगभग 2 साल पहले प्रतिवादीगण ने मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया एवं मुझसे विवाद किया इसलिए मैने न्यायालय में यह दावा पेश किया। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायसंगत है। मैने वादपत्र के साथ वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत 2071–74 पेश की जो प्रदर्श 1 लगायत 3 है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ।

अधिवक्ता वादी द्वारा और कोई गवाह पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 20.01.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि आराजी संख्या 29 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 2579/26 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 32 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 2192/1087 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 2171/1086 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अन्य किसी से करावें। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा न करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमाई जावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर ले एवं वादी को बेदखल कर दे तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को सुपूर्द कराये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावें और अन्य कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यों एवं विधि के अन्तर्गत वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़, बयान गवाह एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों को गहनता से अध्ययन किया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी के नाम पर आराजी संख्या 29 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा

तथा आराजी संख्या 2579/26 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा आराजी संख्या 32 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2192/1087 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी संख्या 2171/1086 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है एवं गवाह बयान से यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर आये दिन दखलन्दाजी करते है। अतः वादी का वाद प्रथमदृष्टया स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 29 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा तथा आराजी संख्या 2579/26 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा आराजी संख्या 32 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2192/1087 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी संख्या 2171/1086 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो कि वादी के खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अन्य किसी से करावें, वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा न करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**(त्रिलोक चन्द मीना)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**माण्डलगढ़**

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.28 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: